भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2290
उत्तर देने की तारीख-09.08.2023

फर्जी विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या

2290 **श्री कार्तिकेय शर्माः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए फर्जी विश्वविद्यालयो का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उन विश्वविद्यालयों में पंजीकृत छात्रों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट https://www.ugc.gov.in/page/Fake-Universities.aspx. पर उपलब्ध है। वर्तमान में इस सूची में 20 संस्थान शामिल हैं। यूजीसी ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित फर्जी संस्थानों को यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है:

i. भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 227 105 (वर्ष: 2021)
ii. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइन्सेज (एआईआईपीपीएचएस), राजकीय विश्वविद्यालय, कार्यालय केएच. सं 608-609, प्रथम तल, संतकृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग, बीडीओ कार्यालय के पास, अलीपुर, दिल्ली-36 (वर्ष: 2022)
iii. बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मकान सं. 49-35-26, एन.जी.ओ. कॉलोनी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश-530016 (वर्ष: 2023)

(ख) से (घ): केंद्र सरकार और यूजीसी निर्दोष छात्रों को ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों के जाल से बचाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ऐसे संस्थानों के बारे में छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को सावधान करने के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचनाएं अपलोड की जाती हैं।
ii. यूजीसी समय-समय पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों और शिक्षा सचिवों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखता है।
iii. यूजीसी ने इनमें से कुछ फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
iv. यूजीसी ने ऐसे स्वघोषित संस्थानों के खिलाफ कारण बताओ/चेतावनी नोटिस जारी किया है।
v. इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों से भी अनुरोध किया है कि ऐसे संस्थान और लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें जो स्वयं को "विश्वविद्यालय" के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके, डिग्री प्रदान करके और अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय'' का उपयोग करके छात्रों को धोखा देते हैं।
